

सुपुत्र श्री दीलत महेता ने सल डीड सं. 3612/1 दि. 2.12.2011 के द्वारा राज. श्रीमती

इकायी के हस्तांतरण के लिए इस कार्यालय को आवेदन किया है।  
यदि किसी व्यक्ति को आवेदक के पक्ष में उक्त संपत्ति के म्यूटेशन पर कोई ऐतराज है, तो वह/वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में अपने ऐतराज जमा करवा सकता/सकती/सकते हैं, अन्यथा उक्त निवास इकाई के स्वामित्व को उपरोक्त दावेदार के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

सचिव  
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

Chirgaon Dist. Shimla (SH) Construction of 2200mtr long R/R masonry & Cement Collection Lining in Field channel at various RDs & C/o. 4 Nos. RCC Collection chamber & Providing and laying HDPE pipes of 75mm dia 200Rmt. Tender ID-2019 HPIPH/30754 1 Estimated Cost:- 1999407/- Earnest money:- 40000/- Time:- 3 Month Cost of form:- 400/-

For term and condition Nit on the Portal <http://hptenders.gov.in> may be referred.

No-IPH-RD-AB-Tender/2019

Dated:-  
Executive Engineer  
I&P Division Rohru

Ro.No.1457/2019-2020

25.07.19  
की गई से  
सिंह को  
अपने ना  
किया है।  
यदि कि  
है, तो व  
में अपने  
स्वामित्व

## ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

सर्कल कार्यालय, रिकवरी, रेजोल्यूशन एण्ड लॉ कलक्टर, प्लॉट सं. 1-6, ओरिएंटल बैंक भवन, सेक्टर-5, पंचकूला (पिन-134109) फोन : 0172-5216510, 5216502 ई-मेल : [rrl\\_7616@obc.co.in](mailto:rrl_7616@obc.co.in)

ई-नीलामी बिक्री सूचना  
दिनांक 31.08.2019 एवं  
20.09.2019 को

चल/अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

क्रम सं. 1 पर ईएमडी एवं दस्तावेज के जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय 28.08.2019 को अप. 4:00 बजे तक

क्रम सं. 2 से 3 पर ईएमडी एवं दस्तावेज के जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय 18.09.2019 को अप. 4:00 बजे तक

प्रतिभूति ब्याज (सफेसी) अधिनियम, 2002 (सं. 54/2002) की वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत बैंक के पास गिरवी चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री। चूंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक को देय राशि की वसूली हेतु "जैसे है जहां है आधार" व "बिना रिकॉर्स आधार पर" पर इसकी बिक्री अधिकार सहित हमारी शाखा कार्यालय के पास निम्न ऋण खाते में प्रतिभूति ब्याज (सफेसी) अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन को धारा 13(2) के तहत जारी सूचना की अनुवर्ती में निम्न सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। बिक्री वेबसाइट पर [www.bankauctionwizad.com](http://www.bankauctionwizad.com) प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

### संपत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणकर्ता का नाम	विवरण एवं संपत्ति का मालिक	खाता सं. एवं आईएफएससी कोड	मांग सूचना तिथि बकाया राशि कब्जा तिथि	(i) आरक्षित कीमत (ii) ईएमडी (iii) बोली वृद्धि राशि (रु.)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित
1.	शाखा कार्यालय : मनीमाजरा, चंडीगढ़ 1) श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री राजेश कुमार म.नं. 29-ए/बी-2, धरमपुर कालोनी, पिंजौर (हरियाणा) 2) श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री अजमेर सिंह (3) श्री रणदीप सिंह सुपुत्र श्री अजमेर सिंह दोनों निवासी म.नं. 65-बी-2, धरमपुर कालोनी, पिंजौर (हरियाणा)	सेल डीड सं. 3612/1 दि. 2.12.2011 के द्वारा राज. श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री राजेश कुमार, श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री अजमेर सिंह एवं रणदीप सिंह सुपुत्र श्री अजमेर सिंह के नाम से विहायशी म.नं. 107, एचबी सं. 152 खाता सं. 69/101, खसरा सं. 64, धरमपुर कालोनी पिंजौर, जिला पंचकूला का सभी जहरी भाग। (भौतिक कब्जा)	02441181000102 ORBC0100244	07.09.2016 71.40,360/- रु. 19.07.2017	(i) 33,08,000/- रु. (ii) 3,30,800/- रु. (iii) 20,000/- रु.	31.08.2019 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे के मध्य
2.	शाखा कार्यालय : फेज 11 मोहाली, ऋणकर्ता : (1) मैसर्स लेख राम विल्डर्स एंड एम्प्लोयिएशन प्रा.लि. पता: I: 227/1,	सेल डीड सं. 1711 दि. 08.10.10 के नाम में दर्ज संजय बान (कमला नगर) भट्टा कुपफर, मोहल मेवाग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला पर भूमि माप 2023, वर्ग मी., हदबस्त सं. 353, खाता सं. : 28 मिन/40 मिन, खसरा सं. 53/2 (भौतिक कब्जा)	11971062000017 ORBC0101197	13.10.2017 370,87,055.60 रु. 17.07.2018	(i) 42.50 लाख रु. (ii) 4.25 लाख रु. (iii) 10,000/- रु.	20.09.2019 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे के मध्य
3.	शाखा कार्यालय : ऋणकर्ता : (1) श्रीमती मनजीत पत्नी श्री विजय सिंह, (गुलजार सिंह का	गुलजार सिंह के नाम पर प्लेट नं. ए-703, अलकनंदा कॉन्पैक्टिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी, प्लॉट नं. 45, सेक्टर 56, गुरुग्राम (उसके कानूनी वारिस के जरिये) (सांकेतिक कब्जा)	02441062000017 ORBC0100244	19.02.2018 14,54,425/- रु. 10.09.2018	(i) 120.00 लाख रु. (ii) 12.00 लाख रु. (iii) 10,000/- रु.	20.09.2019 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे के मध्य

बादल कालोनी, लोहागढ़, जीरकपुर पता-II: एससीओ 815, टॉप प्लोर, एनएसी मनीमाजरा (2) अमित कुमार शर्मा सुपुत्र लेख राम (मृतक) इसके कानूनी उत्तराधिकारियों श्रीमती शंकरू पत्नी लेख राम, गांव सारी, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि.प्र.), (3) अमित कुमार शर्मा (मृतक), इसके कानूनी उत्तराधिकारियों ब्रह्मा शर्मा यू/जी अर्चना ठाकुर, प्लेट नं. 503, डी ब्लॉक, फेज-3, माया गार्डन, जीरकपुर (4) श्री हरनाम सिंह बंसत (निदेशिक) सुपुत्र श्री रामेश्वर दास, गांव डलगाण, पी.ओ कुरांटा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (5) श्रीमती अर्चना ठाकुर (गारंटर) एवं अमित कुमार शर्मा की कानूनी उत्तराधिकारी, प्लेट नं. 503, डी ब्लॉक, फेज-3, माया गार्डन, जीरकपुर (6) श्री विजय पाल ठाकुर सुपुत्र दया राम पता-I: गांव पढ़ेरा, तहसील कण्डाघाट, सोलन पता-II: गांव पोधाना, तहसील कण्डाघाट जिला सोलन

कानूनी वारिस (2) रंजीत पत्नी राम सिंह चौधरी (गुलजार सिंह का कानूनी वारिस) (3) अविनाश पत्नी संसार सिंह (गुलजार सिंह की कानूनी वारिस) पता-I: गांव नूरपुर, टांडा रोड जालंधर (4) हरगोपाल सिंह पुत्र स्व. गुलजार सिंह (गुलजार सिंह का कानूनी वारिस) (5) प्रकाश कौर पत्नी गुलजार सिंह (गुलजार सिंह की कानूनी वारिस) सभी निवासी पता : I: गांव नूरपुर, टांडा रोड जालंधर, पता -II: म.सं. 1022, सेक्टर-24, चंडीगढ़ (6) रेशमा एच.सिंह पत्नी हरबख्श सिंह (हरबख्श सिंह की कानूनी वारिस) एम-131, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली (7) सिंघेश्वर सिंह पुत्र स्व. हरबख्श सिंह (हरबख्श सिंह का कानूनी वारिस) गांव नूरपुर टांडा रोड जालंधर (8) विक्रमादित्य सिंह पुत्र हरबख्श सिंह (हरबख्श सिंह की कानूनी वारिस) एम-131, ग्रेटर कैलाश-02, नई दिल्ली

नियम एवं शर्तें:- (1) ईएमडी एवं दस्तावेज के जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय क्रं. सं. 1 पर 28.08.2019 को अप. 4.00 बजे एवं क्रं. सं. 2 एवं 3 पर 18.09.2019 को अप. 4.00 बजे तक है। 2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार, यहां संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। ईच्छुक बोलीकार अपनी बोली जमा कराने से पूर्व संपत्ति को प्रभावित कर रहे दावे/अधिकार/देय एवं नीलामी पर रखी संपत्तियों के टाईटल, ऋणभार के लिए प्राधिकृत अधिकारी की पृष्ठतालिका देखें। प्राधिकृत अधिकारी प्रत्याभूत लेनदार किसी भी तीसरी पार्टी के दावे/अधिकार/देय हेतु जिम्मेवार नहीं होगा। 3. संपत्ति की निरीक्षण तिथि एवं समय : क्रं. सं. 1 पर 26.08.2019 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 3:00 बजे तक एवं क्रं. सं. 2 एवं 3 पर 16.09.2019 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 3:00 बजे के मध्य। (4) ईच्छुक बोलीकार संबंधित खाता नं., लाभार्थी का नाम: ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, संबंधित शाखा कार्यालय में एनईएफटी/आरटीएस/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ईएमडी राशि जमा कराएंगे। (5) ईच्छुक बोलीकार जिसने ईएमडी राशि जमा कराई है एवं लागईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग, बोली जमा कराने, ई-बोली प्रक्रिया ईत्यादि पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है वे वे. में अन्तरेस (Antares) सिस्टमस लिमिटेड पता # 24, सुधा कॉम्प्लेक्स, तीसरी स्टेज, चौथा ब्लॉक, बासवेश (Basavesh) वायानगर, बैंगलूर-560079, संबंधित व्यक्ति: श्री विनोद सिंह बोरा, मो. 9718227288 ईमेल: [vinodsingh.b@antaresystems.com](mailto:vinodsingh.b@antaresystems.com) व श्री कुशल बोस 7686913157 ईमेल: [kushal.b@anatressystems.com](mailto:kushal.b@anatressystems.com) टॉल फ्री: 18001026185 लैंडलाइन: 080-49352000 ई-नीलामी पोर्टल: [www.bankauctionwizad.com](http://www.bankauctionwizad.com), [www.obcindia.co.in](http://www.obcindia.co.in) के जरिये संपत्ति का बंधन। बिक्री कीमत का शेष 75% बिक्री के 15 दिन या उससे पहले जमा कराया जाएगा। सफल बोलीकार द्वारा अदायगी न करने की स्थिति में, बोलीकार द्वारा पहले से जमा कराई गई राशि जप्त कर ली जाएगी एवं संपत्ति पुनः नीलामी के लिए रखी जाएगी एवं चूककर्ता बोलीकार का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। (8) खरीददार लागू स्टैंड ड्यूटी/अतिरिक्त स्टैंड ड्यूटी/ट्रांसफर प्रभार, शुल्क ईत्यादि एवं सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देय, करों, दरों, निर्धारण, प्रभार, शुल्क ईत्यादि भी वहन करेगा। एवं 50 लाख रु. मूल्य की सम्पत्ति हेतु खरीददार द्वारा 1% टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) एवं लागू अनुसार जीएसटी वहन करेगा। 9. विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु ईच्छुक बोलीकारों से निवेदन है कि वे हमारी वेबसाइट [www.obcindia.co.in](http://www.obcindia.co.in) एवं ई-नीलामी सर्विस प्रोवाइडर [www.bankauctionwizad.com](http://www.bankauctionwizad.com) पर जाएं। 10. बैंक ई-नीलामी के असफल होने की स्थिति में, कानून अनुसार निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

[विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाइट [www.bankauctionwizad.com](http://www.bankauctionwizad.com), [www.obcindia.co.in](http://www.obcindia.co.in) पर जाएं।]

ब्याज प्रवर्तन नियम, 2002 में प्रतिभूति के नियम 9(1) के तहत बिक्री हेतु 15/30 दिन की सांविधिक सूचना

ऋणकर्ता/गारंटरो को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले अधतन ब्याज के साथ उपरोक्त निर्दिष्ट राशि एवं अनुवागिक खर्चों सहित राशि का भुगतान कर दें अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी एवं शेष देय यदि कोई है, की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

दिनांक: 14.08.2019 स्थान: चंडीगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

SHI  
Not

Online b  
Tutikand  
Pradesh  
work fro

S. No:-  
and com  
on Adva  
chanical  
Three ye  
Lalpani,  
of entir  
E/mone

The Key

a Date

b Dow

c Date

d Phy  
cost

E Date

F Cov

G Cov

f Site

Pre

The ten  
website

Ro. No.0

PRES

The Exe  
on beha  
contract

Name of

Providin  
Lahulpur  
(HP)/unc  
cum atten  
tank 150

Improve  
Bangoli  
Tehsil D  
SCSP) (

Attender  
tank 350

Improve  
system c  
LWSS J  
existing  
village S  
Kangra  
chowkid

A/R & M  
Town in  
(HP) (SH  
of comp  
Mechan

Last dat  
upto 11  
obtaine

Ro. No. 146